बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं कुलाधिपति,
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा
विश्वविद्यालय, देहरादून।

सत्यमेव जयते

राजभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 — /जी0एस0/शिक्षा/C15-2(TC)/2020
देहरादून : दिनांक 14 मई, 2020

: आदेश :

हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–10 की उपधारा–(5) व (6) के प्राविधानों के अधीन आदेश संख्या–1948/जी0एस0/शिक्षा C15-2/2018 दिनांक 14 अगस्त, 2018 के द्वारा डा0 हेम चन्द्र को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया गया था, जिसके क्रम में डा0 हेम चन्द्र द्वारा दिनांक 06.09.2018 को कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2014 की धारा–10(5)(ख) व धारा–10(6) में हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अध्यादेश–2020 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार कुलपति पद हेतु पॉच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तक नियुक्ति का प्रावधान किया गया है किन्तु अध्यादेश के प्रभावी रहने की अधिकतम अवधि '06 माह' अथवा विधानसभा सत्र में अधिनियम पारित होने तक, जो भी पूर्व हो, तक ही है व अध्यादेश को कोई पूर्वगामी प्रभाव नहीं दिया गया है।

अतः तत्क्रम में हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–10(5)(ख) व धारा–10(6) में अध्यादेश के माध्यम से संशोधित उक्त प्रावधान के दृष्टिगत डा0 हेम चन्द्र का दिनांक 15.05.2020 से अग्रेत्तर 06 माह तक की अवधि के लिए हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यकाल विस्तारित किया जाता है।

बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति

संख्या : 208 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C15-2(TC)/2020, तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- निदेशक, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5- डा0 हेम चन्द्र, कुलपति, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
6- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
7- अधिशासी कुलसचिव, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ (उ0प्र0)।
8- कुलसचिव, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
9- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव